GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)
****

No.E(NG)I-2001/PM10/3 New Delhi, Dated **16** .8.2002

The General Managers (P)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub : **Relaxation in the educational qualification to the Lab. Attendants for promotion to the post of Lab. Assistants Gr.II (Medical Dept).**

In terms of this Ministry's letter No.PC-V/98/I/11/18(Pt.) dated 17.8.98, the minimum educational qualification for promotion of Gr. 'D' staff to the post of Lab.Assistants Gr.II in scale Rs.3200-4900 in Medical Department has been revised from Matriculation with Science to 'Matriculation with Science plus Diploma in Medical Lab. Technology (DMLT).

2. A demand for relaxation of the revised educational qualification has been raised in the DC-JCM meeting in favour of existing Lab. Attendants for their promotion as Lab. Assistants, Gr.II.

3. The matter has been considered by the Ministry of Railways. While the demand for allowing the Lab. Attendants with pre-revised qualification, as one time exemption, for promotion to the post of Lab. Assistants Gr.II has not been agreed to, the Ministry of Railways consider that the concerned employees should be encouraged to acquire the requisite qualification of DMLT. For this purpose the Railways may consider favourably requests of employees concerned for grant of study leave as per extant rules to enable them to pursue the course of study to acquire the qualification of DMLT.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board

No.E(NG)I-2001/PM10/3 New Delhi, dated **16** 8.2002
Copy to:-

1. The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-110055.

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi-110055.

Mamta
For Secretary/Railway Board

E(LR)I-60 Copies

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई (एनजी) I/-2001/पी एम/10/3 नई दिल्ली. दिनांक : **16.8.2002**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषय : प्रयोगशाला परिचरों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड II (चिकित्सा विभाग) के पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षिक अर्हता में छूट देना.

इस मंत्रालय के दिनांक 17.8.98 के पत्र सं पीसी-V/98/1/11/18 (पार्ट) के अनुसार. चिकित्सा विभाग में ग्रुप 'घ' कर्मचारियों की 3200-4900 रु. के वेतनमान में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के लिए शैक्षिक अर्हता जो पहले विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन थी, संशोधित करके 'विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन तथा चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएमएलटी) कर दी गई है.

2. मौजूदा प्रयोगशाला परिचरों को प्रयोगशाला सहायकों, ग्रेड II के रूप में उनकी पदोन्नति के लिए संशोधित शैक्षिक अर्हता में छूट देने की मांग विभागीय परिषद-संयुक्त वार्ता तंत्र की बैठक में उठाई गई है.

3. रेल मंत्रालय द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है. हालाँकि प्रयोगशाला परिचरों की प्रयोगशाला सहायक ग्रेड II के पद पर पदोन्नति के लिए एक बारगी छूट के रूप में पूर्व-संशोधित अर्हता की अनुमति देने की मांग स्वीकार नहीं की गई है. रेल मंत्रालय ने विचार किया है कि संबंधित कर्मचारियों को डीएमएलटी की अपेक्षित अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. इस प्रयोजन के लिए रेलें अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए संबंधित कर्मचारियों के अनुरोधों पर वर्तमान नियमों के अनुसार अनुकूल दृष्टि से विचार करें ताकि वे डीएमएलटी की अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन पाठयक्रम पर जा सकें.

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

कृपया पावती दें.

(हस्ताक्षर)
(जे.एस.गुसाईं)
संयुक्त निदेशक, स्था (अराज)
रेलवे बोर्ड.

सं.ई (एनजी) I/-2001/पी एम/10/3 नई दिल्ली. दिनांक : **16.8.02**

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-110055
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन, 3, चेम्सफोड रोड, नई दिल्ली-110055.

(हस्ताक्षर)
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

saNJEEV